प्रतिलिपि आदेश दिनांक 1-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रक्र0 निग0 1933-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-5-14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ प्रक्र0 3/बी-121/13-14.

हीरालाल पुत्र चिथला कुशवाह
निवासी ग्राम मेदवारा तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

पूकशा पुत्र प्यारेलाल रहे निवासी ग्राम
मेदवारा तहसील व लिधौरा जिला
टीकमगढ म0प्र0 --- अनावेदक

न्यायाधीश वर्ग–2 जतारा के प्र0कं0 43ए/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27–9–13 से भी अनावेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया और डिक्री भी प्रदान की गई है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश के बाद अन्य कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं माना। चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः अनुविभागीय अधिकारी जतारा एवं अपर कलेक्टर टीकमगढ़ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

7/8/14

(अशोक शिवहरे)
सदस्य

भावकों
क्षर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

ग क्रमांक निगरानी 1933–तीन/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2014	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2/ आवेदक हीरालाल द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक के ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत आवेदन पेश कर ख0नं0 128/1, 132/1, 133/1 क्रमशः रकवा क्रमशः 0.400, 1.00 एवं 0.592 है0 पर कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19–3–2013 को इस आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर प्रकरण क्रमांक 8/अ–19(ब)/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2002 से अनावेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं। अपर कलेक्टर ने विस्तार से आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा तहसीदार के आदेश दिनांक 18–5–2002 के विरूद्ध कार्यवाही करनी थी जो नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के संबंध में व्यवहार	